बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्र संख्या-11/विविध-6-12/14 पटना, दिनांक-

आदेश

मेसर्स ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ब्रह्मपुत्रा हाऊस, संख्या- 7, मेन महिपालपुर, एन0एच0-08 एवं महिपालपुर क्रासिंग के नजदीक, नई दिल्ली 110037 के द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के अधीन कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमण्डल संख्या- 1 , सीमामढ़ी से अधवारा बायाँ तटबंध के 0.00 कि0मी0 से 43.60 कि0मी0 एवं दायाँ तटबंध के 0.00 कि0मी0 से 44.00 कि0मी0 के बीच उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य तथा संरचना मरम्मति एवं निर्माण कार्य का एकरारनामा संख्या- 15BD/ 2012-13 दिनांक- 15.05.2012 को किया गया ।

एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि- 30.06.13 थी । कार्य समाप्ति की तिथि के 11 माह के पश्चात भी मिट्टी कार्य के साथ-साथ सात अदद स्लूईस की मरम्मति एवं 20 अदद स्लूईस का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कर कार्य में अतिशय विलंब के लिए विभागीय पत्रांक- 11/विविध -06-12/14-5065 दिनांक- 10.10.14 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा किया गया था । इस मामले की पुर्नसमीक्षा की गयी और पाया गया कि संवेदक द्वारा एकरारनामा एवं विनिर्देश के अनुसार एकरारित कार्य नहीं किया गया है । इस कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली के नियम -11(क)(ii) में वर्णित कदाचार के श्रेणी में संवेदक का कृत मानते हुए विभागीय पत्र संख्या- 12 दि0- 02.01.15 द्वारा संवेदक (कम्पनी) के निबंधन संख्या- 16/2012 (श्रेणी प्रथम) को अगले दो वर्षो तक निलंबित करने हेतु कारण पृच्छा की गयी है ।

संवदेक द्वारा उपलब्ध कराये गये जबाव पर विभागीय पत्र संख्या-698 दिनांक- 06.02.15 से मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर से मंतव्य की मांग की गयी । मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने पत्र संख्या- 567 दिनांक-20.02.15 से मंतव्य उपलब्ध कराया गया । जिसमें निम्नलिखित तथ्य उनके द्वारा दर्शाया गया है :-

(i) आंवटित कार्य में कुल 36.479 घनमीटर मिट्टी कार्य किया जाना है, जिसके विरूद्ध उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में 32.31 घनमीटर तथा गढ़्ढा भराई में 1.728 लाख घनमीटर मिट्टी कार्य किया गया है । गढ़्ढा भराई कार्य किसी सक्षम प्राधिकार की अनुमति से नहीं कराया गया है । इस प्रकार सही कार्य मात्र- 32.31 लाख घनमीटर ही है । इसके आधार पर वित्तीय प्रगति लगभग 77 प्रतिशत होता है ।

(ii) अबतक 13.00 कि0मी0 की लंबाई में मिट्टी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

(iii) बाए एवं दाए तटबंध में कुल 29 अदद नया संरचना का निर्माण तथा 20 अदद का मरम्मति करने हेतु एकरारनामा के प्रावधान है । संवेदक द्वारा संरचना निर्माण में कोई अभिरूचि नहीं दिखाई गयी है । संवेदक द्वारा समर्पित

कृ0प0उ0

कार्यक्रम के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है । 23 अदद नये संरचना का निर्माण अब तक प्रारम्भ नहीं किया गया है । साथ ही 20 अदद संरचना की मरम्मति के विरूद्ध मात्र 6 अदद संरचना की मरम्मति प्रारम्भ भी नहीं की गयी है ।

(iv) दिनांक- 31.05.13 तक कार्य पूर्ण करने की संवेदक की मंशा नहीं रही है । जबकि एकरारनामा के अनुसार इस कार्य को 31.05.13 को ही पूर्ण कराने हेतु विभागीय पदाधिकारियों द्वारा काफी प्रयास किया गया है । इस प्रकार दिनांक- 31.05.13 तक कार्य पूर्ण करने में संवेदक असफल रहे हैं ।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में समीक्षोपरांत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम -11 (क) (ii) में वर्णित एकरारनामा एवं विनिर्देश के अनुसार कार्य नहीं कराने संबंधी आरोप संवेदक के विरूद्ध प्रमाणित होता है । फलत: ब्रहमपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, नई दिल्ली के निबंधन संख्या- 16/2012 (प्रथम श्रेणी) को दो वर्षो के लिए निलंबित किया जाता है ।

ह0/-
(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (मध्य) ।

ज्ञापांक- दिनांक-

निबंधित

प्रतिलिपि:- मेसर्स ब्रहमपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, ब्रहमपुत्रा हाऊस, ए-7, मेन महिपालपुर एन0एच0 -08 एवं महिपालपुर क्रॉसिंग के नजदीक, नई दिल्ली- 110037 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (मध्य) ।

ज्ञापांक- 1355 दिनांक- 12.03.15

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/ सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ पथ निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, जल. संसाधन विभाग/ निदेशक, क्रय भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल -2/ 3/ बाढ़ मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना/ आई0टी0 मैनेजर को बेवसाईट पर डालने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(12)

(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (मध्य) ।

(37)

आई0टी0 मैनेजर

TSP/03-15/Sec-11